



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं०- 523

दिनांक 27.02.2025

जोन-पश्चिमी/ थाना -माल

■ अवैध कच्ची शराब की बिक्री करने वाले 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।

01-संक्षिप्त विवरण:-

उ०नि० अमरपाल साहू मय हमराही कर्मचारीगण के अवैध शराब बनाने व बिक्री करने वालो के विरुद्ध अभियान में ग्राम देवरीभारत में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुयी कि एक व्यक्ति गुमसेना मोड़ पर अवैध कच्ची शराब बेच रहा है मुखबिर खास की इस सूचना पर उस व्यक्ति जिसका नाम महादीन पुत्र स्व० दुर्जन प्रसाद नि० ग्राम देवरीभारत थाना माल लखनऊ उम्र 46 वर्ष को गुमसेना मोड़ से मय एक अदद प्लास्टिक की पिपिया में करीब 20 ली० अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया, तथा थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 52/25 धारा 60 Ex Act पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

उ०नि० प्रिन्स कुमार मय हमराही कर्मचारीगण के अवैध शराब बनाने व बिक्री करने वालो के विरुद्ध अभियान में ग्राम पिपरी कुराखर में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुयी कि एक व्यक्ति माल-इंटौजा मार्ग पर 06 नम्बर ट्यूबवेल के पास अवैध कच्ची शराब बेच रहा है मुखबिर खास की इस सूचना पर उस व्यक्ति जिसका नाम गोलू पुत्र स्व० पूरन निवासी ग्राम पकरा बाजारगांव थाना माल लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष को माल-इंटौजा मार्ग 06 नम्बर ट्यूबवेल से मय एक अदद प्लास्टिक की पिपिया में करीब 20 ली० अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया, तथा थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 53/25 धारा 60 Ex Act पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-महादीन पुत्र स्व० दुर्जन प्रसाद नि० ग्राम देवरीभारत थाना माल लखनऊ उम्र 46 वर्ष

02-गोलू पुत्र स्व० पूरन नि० ग्राम पकरा बाजारगांव थाना माल लखनऊ उम्र 25 वर्ष

03- बरामदगी-

➤ 01 अदद प्लास्टिक की पिपिया में करीब 20 अवैध कच्ची शराब (महादीन)

➤ 01 अदद प्लास्टिक की पिपिया में करीब 20 अवैध कच्ची शराब (गोलू)

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग:

01-मु०अ०सं० 52/25 धारा 60 Ex Act बनाम महादीन उपरोक्त थाना माल लखनऊ

02-मु०अ०सं० 53/25 धारा 60 Ex Act बनाम गोलू उपरोक्त थाना माल लखनऊ

05-आपराधिक इतिहास अभियुक्त गोलू उपरोक्त

1-मु०अ०सं० 413/19 धारा 60 Ex Act थाना माल लखनऊ

2-मु०अ०सं० 61/21 धारा 60 Ex Act थाना माल लखनऊ

3-मु०अ०सं० 326/22 धारा 60 Ex Act थाना माल लखनऊ

4-मु०अ०सं० 439/22 धारा 60 Ex Act थाना माल लखनऊ

5-मु०अ०सं० 160/23 धारा 60 Ex Act थाना माल लखनऊ

6- मु०अ०सं० 66/24 धारा 60 Ex Act थाना माल लखनऊ

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी

घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर वारदात की जांच शुरू की। लखनऊ पुलिस कमिश्नेट ने इस केस के खुलासे के लिए पाँच टीमों गठित कीं। पुलिस ने CCTV फुटेज, CDR (कॉल डिटेल् रिकॉर्ड) और ग्राउंड इनपुट्स के जरिए आरोपियों की पहचान की और 26 फरवरी की रात मल्हौर स्टेशन के पास से सभी 08 अभियुक्तों गिरफ्तार और 01 बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1.शहजाद खान पुत्र सलाउद्दीन निवासी 570 सन्तपुरम थाना गाजीपुर लखनऊ मूलपता ग्राम सिपईया मवई थाना मवई जनपद फैजाबाद उम्र 27 वर्ष ।
- 2.मो0 कादिर पुत्र मारूख अहमद निवासी 631/191 मुलायमनगर थाना गाजीपुर लखनऊ मूलपता-ग्राम चमरौली थाना पतरंग जनपद फैजाबाद उम्र 23 वर्ष ।
- 3.फहद खान पुत्र आफताब खान निवासी 631/191 मुलायमनगर थाना गाजीपुर लखनऊ मूल पता ग्राम करौंदी थाना मवई जनपद फैजाबाद उम्र 23 वर्ष ।
- 4.बादल सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह निवासी 3/379 वास्तुखण्ड गोमतीनगर थाना गोमतीनगर लखनऊ मूलपता रूस्तमपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर उम्र 23 वर्ष ।
- 5.अविरल श्रीवास्तव पुत्र आलोक श्रीवास्तव निवासी 3/333 वास्तुखण्ड गोमतीनगर थाना गोमतीनगर लखनऊ मूलपता बूढापार उदयराजगंज थाना चिलिहां जनपद सिद्धार्थनगर उम्र 19 वर्ष ।
- 6.मो0मुआज पुत्र मुवशिशर अहमद निवासी 549 आदर्श बिहार कालोनी मल्हौर रोड थाना चिनहट लखनऊ मूलपता खेता सराय थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी उम्र 18 वर्ष ।
- 7.मो0आदिल पुत्र मो0शरीफ निवासी 18/24 बेहलनपुरवा विभूतिखण्ड थाना विभूतिखण्ड लखनऊ उम्र 27 वर्ष
- 8.आदिल उर्फ शीबू पुत्र मो0इशहाक निवासी 105 निजामपुर मल्हौर थाना चिनहट लखनऊ उम्र 24 वर्ष ।

संरक्षण में लिया गया बाल अपचारी-

- 9.(बाल अपचारी) उम्र करीब 16 वर्ष ।

यह हुआ बरामद- लूटा गया रेड्मी मोबाइल फोन, वारदात में प्रयुक्त एक चाकू,अपराध में इस्तेमाल तीन मोटरसाइकिलें, बुलेट (UP42AS8501), टीवीएस स्पोर्ट (UP32MP3607), सुपर स्प्लेंडर (MBLJAW40XR9J04289)

अनावरित अभियोग का विवरण- मु0अ0सं0-100/2025, धारा-352/109(1)/309(4)/351(2) भा0न्या0सं0 थाना कृष्णानगर लखनऊ।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम

थाना कृष्णानगर पुलिस टीम लखनऊ कमिश्नेटल



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं०- 529

दिनांक-27.02.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना कृष्णानगर

- बस कंडक्टर पर हमला कर मोबाइल लूटने वाले 08 अभियुक्त गिरफ्तार और 01 बाल अपचारी को लिया गया पुलिस संरक्षण में।

-YOLO बस में टिकट बुकिंग के बाद समय पर न पहुंचने पर नाराज शहजाद खान ने दोस्तों संग कंडक्टर पर हमला कर मोबाइल लूट लिया

-लखनऊ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, सीसीटीवी और तकनीकी जांच से महज कुछ घंटों में 08 अभियुक्त और 01 बाल अपचारी गिरफ्तार

-वारदात में इस्तेमाल तीन बाइक, एक चाकू और लूटा गया रेड्मी मोबाइल फोन बरामद, पुलिस ने सभी को मल्हौर स्टेशन के पास से पकड़ा

-बस छूटने की मामूली घटना ने लिया खतरनाक मोड़, दोस्तों के साथ मिलकर लूट और हमले की साजिश रचने वाला शहजाद हुआ गिरफ्तार।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की दक्षिणी जोन सर्विलांस सेल और थाना कृष्णानगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लूट और हमले की एक बड़ी वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 08 अभियुक्तों और 01 बाल अपचारी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त चाकू और तीन मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। यह कार्रवाई 26 फरवरी 2025 को हुई घटना के संबंध में की गई, जिसमें YOLO बस के कंडक्टर पर जानलेवा हमला कर उसका मोबाइल लूट लिया गया था।

इस प्रकार रची गई साजिश

मुख्य आरोपी शहजाद खान ने 25 फरवरी को दिल्ली से लखनऊ आने के लिए YOLO बस में टिकट बुक कराया था। उसका पिकअप प्वाइंट अक्षरधाम मंदिर था, जहां बस ने उसे लगभग 30 मिनट तक इंतजार किया। जब शहजाद समय पर नहीं पहुंचा, तो बस उसे छोड़कर अन्य यात्रियों के साथ लखनऊ के लिए रवाना हो गई। यह बात शहजाद को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपने साथियों को इकट्ठा कर बस कंडक्टर को सबक सिखाने की योजना बनाई।

26 फरवरी की रात बाराविरवा नहरिया चौराहे के पास शहजाद और उसके 08 साथियों ने घात लगाकर बस का इंतजार किया। जब बस वहां पहुंची, तो उन्होंने कंडक्टर अंकित को घेर लिया और चाकू से हमला कर उसे अधमरा कर दिया। इसके बाद वे उसका मोबाइल फोन लूटकर मौके से फरार हो गए।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-522

दिनांक-27.02.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- गोमतीनगर विस्तार

- नाबालिक लड़की से दुष्कर्म करने व अश्लील फोटो वायरल कर देने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01-कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ व श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त पूर्वी के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी व सहायक पुलिस आयुक्त गोमतीनगर के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक थाना गोमती नगर विस्तार के निर्देशन में थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा दिनांक 27.02.2025 को समय नाबालिक के साथ बलात्कार कर अश्लील फोटो वायरल करने से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त विशाल रावत पुत्र श्री गुड्डू रावत निवासी ग्राम मकदूमपुर थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ उम्र 20 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.02.2025 को आवेदिका की लिखित तहरीर बावत आवेदिका की नाबालिक बेटी के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने व अश्लील फोटो वायरल करने के सम्बन्ध में एक तहरीर प्राप्त हुआ जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 38/2025 धारा 64(1) बीएनएस, 67/67 (ए) IT ACT, ¾ पाक्सो एक्ट बनाम विशाल रावत पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी व मुकदमा उपरोक्त के सफल अनावरण हेतु थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास किये जा रहे थे। पुलिस टीम के अथक प्रयासों से दिनांक 27.02.2025 को वांछित अभियुक्त विशाल रावत पुत्र श्री गुड्डू रावत निवासी ग्राम मकदूमपुर थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ उम्र 20 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-विशाल रावत पुत्र श्री गुड्डू रावत निवासी ग्राम मकदूमपुर थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ उम्र 20 वर्ष

04-पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0 38/2025 धारा धारा 64(1) बीएनएस, 67/67 (ए) IT ACT, ¾ पाक्सो एक्ट थाना गोमतीनगर विस्तार जनपद लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम: -

1. अति0नि0 सुनील कुमार यादवर थाना गोमती नगर विस्तार, जनपद लखनऊ।
2. उ0नि0 लल्लन पाल थाना गोमती नगर विस्तार, जनपद लखनऊ।
3. म0उ0नि0 अन्नु सिंह थाना गोमतीनगर विस्तार, जनपद लखनऊ।
4. हे0का0 मदन कुमार यादव थाना गोमतीनगर विस्तार, जनपद लखनऊ।

- 4- मु0अ0सं0 880/2022 धारा 379/411 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी।
- 5- मु0अ0सं0 967/2022 धारा 379/411 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी।
- 6- मु0अ0सं0 1233/2022 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी।
- 7- मु0अ0सं0 99/2023 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी।
- 8- मु0अ0सं0 528/2024 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस थाना गाजीपुर लखनऊ।
- 9- मु0अ0सं0 59/2025 धारा 306/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ।
- 10- मु0अ0सं0 69/2025 धारा 305(ए)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ।

नोट- अभियुक्त उपरोक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

05-बरामदगी:-

- 01 अदद मोटरसाइकिल गाडी नं0 UP92AQ3427 होन्डा SP125 DRUM रंग पर्ल सायरन (मु.अ.सं 528/2024 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस थाना गाजीपुर लखनऊ)
- 02 अदद एंड्रॉयड फोन (1- विवो फोन रंग मिन्ट ग्रीन- मु0अ0सं0 69/2025 धारा 305(ए) बीएनएस से सम्बन्धित), 2-सैमसंग मोबाइल रंग मिंट ग्रीन- मु0अ0सं0 59/2025 धारा 306 बीएनएस से सम्बन्धित
- 01 अदद जिओ सिम- सिम न. 89918710400612919829

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री राजेश कुमार त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना गोमतीनगर लखनऊ
- 2- उ0नि0 श्री संतोष कुमार यादव
- 3- उ0नि0 श्री शिवम गुप्ता
- 4- का0 अजय यादव
- 5- का0 आकाश यादव



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-521

दिनांक-27.02.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- गोमतीनगर

- 01 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार ।
- कब्जे से चोरी की गयी एक अदद मोटरसाईकिल , 02 अदद मोबाइल फोन व एक जियो सिम बरामद।
- गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद बाराबंकी व लखनऊ में दर्ज हैं कई मुकदमें।
- थाना गोमतीनगर पुलिस की सफलता।

01-सक्षिप्त विवरण:-

थाना स्थानीय पर दिनांक 22.2.2025 को वादी श्री अमित कुमार द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 59/2025 धारा 306 बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ व दिनांक 26.2.2025 को वादी श्री नन्दकिशोर दीक्षित वादी का मोबाइल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 69/2025 धारा 305(ए) बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ पर पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त मुकदमें की विवेचना क्रमशः उ0नि0 संतोष कुमार यादव व उ0नि0 शिवम गुप्ता द्वारा संपादित की जा रही है।

02-कार्यवाही का विवरण –

आज दिनांक 26.2.2025 को उ0नि0 संतोष कुमार यादव, उ0नि0 शिवम गुप्ता क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन रोकथाम जुर्म जरायम तलाश वांछित अभियुक्त में ग्वारी चौराहे पर मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर विराम खंड -5 से ग्वारी चौराहे की ओर पुल के नीचे वाले रास्ते पर अभियुक्त दिव्यांशु शुक्ला पुत्र मनोज शुक्ला पता ग्राम/पोस्ट मलौली थाना मसौली बाराबंकी उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया एवं गिरफ्तार अभियुक्त के पास से चोरी की गयी एक मोटरसाईकिल , 02 अदद मोबाइल फोन व एक जियो सिम बरामद की गयी अभियुक्त उपरोक्त एक शातिर किस्म का चोर है एवं चोरी करने का अभ्यस्त अपराधी है। इसके द्वारा जनपद बाराबंकी व जनपद लखनऊ में चोरी की विभिन्न घटनायें कारित की गयी हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- दिव्यांशु शुक्ला पुत्र मनोज शुक्ला पता ग्राम/पोस्ट मलौली थाना मसौली बाराबंकी उम्र करीब 24 वर्ष

04- आपराधिक इतिहास अभियुक्त दिव्यांशु शुक्ला उपरोक्त-

1- मु0अ0सं0 351/2018 धारा 380/411 भादवि0 थाना गोमतीनगर लखनऊ ।

2- मु0अ0सं0 338//2018 धारा 380/411 भादवि0 थाना गोमतीनगर लखनऊ ।

3- मु0अ0सं0 878/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं०- 528
दिनांक- 27.02.2025

जोन दक्षिणी/ थाना बिजनौर

- वादी के साथ मारपीट व मोबाइल फोन लूटने वाले 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।
- कब्जे से 02 अदद मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद।

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26/02/2025 को थाना बिजनौर क्षेत्र ग्राम नटकुर अभियुक्त रोशन जमीर पुत्र नासीर अली निवासी ग्राम नटकुर थाना बिजनौर लखनऊ द्वारा मुकदमा वादी श्री विशाल साहू पुत्र श्री राकेश साहू निवासी ग्राम - नटकुर ,पोस्ट- चन्द्रावल थाना बिजनौर लखनऊ के साथ मारपीट कर कनपटी पर कट्टा रखकर मोबाईल लूटने की घटना को अंजाम दिया गया था जिसकी सूचना प्राप्त होने पर थाना स्थानीय पर दिनांक 27/02/2025 को मु०अ०सं० 57/25 धारा 309(4)/115(2)/351/352 बी.एन.एस. पंजीकृत कर अभियुक्त की तलाश पतारसी जा रही थी।

आज दिनांक 27/02/2025 को वांछित अभियुक्त रोशन जमीर पुत्र नासीर अली निवासी ग्राम नटकुर थाना बिजनौर लखनऊ को मुखबिर खास की सूचना पर नटकुर पुलिसिया पैराडाइज लोन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि विशाल ने डेढ महीने पहले मुझसे 10 हजार रुपये लिये थे जो दे नहीं रहा था तब मैंने इसे फोन कर बुलाया और मारपीट करके कनपटी पर कट्टा रखकर डराकर मोबाईल छीन लिया था।

अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर सम्बन्धित अभियोग मु०अ०सं० 58/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

02-अभियुक्त का नाम व पता:-

1. रोशन जमीर पुत्र नासीर अली निवासी ग्राम नटकुर थाना बिजनौर लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

- 01- मु०अ०सं० 57/25 धारा 309(4)/115(2)/351/352 बी.एन.एस. थाना बिजनौर लखनऊ
- 02- मु०अ०सं० 58/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिजनौर लखनऊ

04-अभियुक्त रोशन जमीर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०सं० 272/21 धारा 147/323/506 भादवि थाना पीजीआई लखनऊ।
नोट: अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं०- 529

दिनांक-27.02.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना कृष्णानगर

- बस कंडक्टर पर हमला कर मोबाइल लूटने वाले 08 अभियुक्त गिरफ्तार और 01 बाल अपचारी को लिया गया पुलिस संरक्षण में।

-YOLO बस में टिकट बुकिंग के बाद समय पर न पहुंचने पर नाराज शहजाद खान ने दोस्तों संग कंडक्टर पर हमला कर मोबाइल लूट लिया

-लखनऊ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, सीसीटीवी और तकनीकी जांच से महज कुछ घंटों में 08 अभियुक्त और 01 बाल अपचारी गिरफ्तार

-वारदात में इस्तेमाल तीन बाइक, एक चाकू और लूटा गया रेड्मी मोबाइल फोन बरामद, पुलिस ने सभी को मल्हौर स्टेशन के पास से पकड़ा

-बस छूटने की मामूली घटना ने लिया खतरनाक मोड़, दोस्तों के साथ मिलकर लूट और हमले की साजिश रचने वाला शहजाद हुआ गिरफ्तार।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की दक्षिणी जोन सर्विलांस सेल और थाना कृष्णानगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लूट और हमले की एक बड़ी वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 08 अभियुक्तों और 01 बाल अपचारी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त चाकू और तीन मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। यह कार्रवाई 26 फरवरी 2025 को हुई घटना के संबंध में की गई, जिसमें YOLO बस के कंडक्टर पर जानलेवा हमला कर उसका मोबाइल लूट लिया गया था।

इस प्रकार रची गई साजिश

मुख्य आरोपी शहजाद खान ने 25 फरवरी को दिल्ली से लखनऊ आने के लिए YOLO बस में टिकट बुक कराया था। उसका पिकअप प्वाइंट अक्षरधाम मंदिर था, जहां बस ने उसे लगभग 30 मिनट तक इंतजार किया। जब शहजाद समय पर नहीं पहुंचा, तो बस उसे छोड़कर अन्य यात्रियों के साथ लखनऊ के लिए रवाना हो गई। यह बात शहजाद को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपने साथियों को इकट्ठा कर बस कंडक्टर को सबक सिखाने की योजना बनाई।

26 फरवरी की रात बाराविरवा नहरिया चौराहे के पास शहजाद और उसके 08 साथियों ने घात लगाकर बस का इंतजार किया। जब बस वहां पहुंची, तो उन्होंने कंडक्टर अंकित को घेर लिया और चाकू से हमला कर उसे अधमरा कर दिया। इसके बाद वे उसका मोबाइल फोन लूटकर मौके से फरार हो गए।

